



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

आवेदन अं./धा. 528 भा.ना.सु.सं., सं. - 1971 वर्ष 2026

मुकेश कुमार दुबे

.... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ
एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	: मोह. तौफीक सिद्दीकी
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	: शा.अधि.

न्यायालय सं. - 13

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री मोह. तौफीक सिद्दीकी और राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अधि.-I श्री विनय कुमार साही को सुना गया।
2. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उन्होंने धारा 528, भा.ना.सु.सं. के अधीन, उस अनुतोष के लिए, जो आवेदन के प्रार्थना खंड में उल्लिखित किया गया है, वर्तमान आवेदन दाखिल किया है। प्रार्थना खंड नीचे वर्णित किया गया है:

"मुकदमा अपराध सं. 36/2025, अं./धा. धारा 406, 420, भा.दं.सं., पुलिस थाना -

कंधई, जिला प्रतापगढ़, राज्य बनाम मुकेश कुमार दुबे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

के समक्ष लंबित, से उत्पन्न आक्षेपित आरोप-पत्र और समन आदेश दिनांक 16.10.2025,

क्रमशः संलग्नक सं. 1 एवं 2 के रूप में संलग्न, निरस्त किया जाए।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्र.सू.रि., मुकदमा अपराध सं. 36/2025, अंतर्गत धारा 406, 420, भा.दं.सं. पुलिस थाना- कंधई, जिला प्रतापगढ़, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर्विष्ट आरोपों के आधार पर रजिस्ट्रीकृत की गई है। अन्वेषण पूरा होने के बाद आरोप-पत्र दाखिल की गई है, तत्पश्चात् संबंधित न्यायालय ने धारा 406 एवं 420, भा.दं.सं. के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया है।

4. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता अग्रेतर निवेदन करते हैं कि दिल्ली रेस क्लब (194) लि. बनाम उ. प्र. राज्य, (2024) 10 एस सी सी 690 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि की दृष्टि से, धारा 420 और 406, भा.दं.सं. के अधीन कार्यवाहियां एकसाथ नहीं चल सकती हैं। अपने निवेदन के समर्थन में, उन्होंने दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) में विनिश्चय के पैरा सं. 30, 41, 42 एवं 43 पर विश्वास किया है, जिन्हें आसान संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

"30. आपराधिक न्यास भंग और छल के बीच अंतर है। छल के लिए, मिथ्या या भ्रामक व्यपदेशन करते समय, अर्थात्, आरंभ से ही, आपराधिक आशय होना आवश्यक है। आपराधिक न्यास भंग में, केवल न्यस्त किए जाने का साक्ष्य पर्याप्त है। इस तरह, आपराधिक न्यास भंग के मामले में, अपराधी को विधिक रूप से संपत्ति न्यस्त की जाती है, और वह बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है। जबकि, छल के मामले में, अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर या बेईमानी से उसे कोई संपत्ति देने के लिए उकसाता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ नहीं हो सकते हैं।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



41. इस मामले को समाप्त करने से पहले, हम इस प्रकार के मामलों में अवर न्यायालयों के औपचारिक दृष्टिकोण के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत से मिली भारत गणराज्य की आधिकारिक दंड संहिता थी। भा.दं.सं. ब्रिटिश शासन के दौरान 1862 में उपमहाद्वीप में लागू हुई थी। भा.दं.सं. लगभग 162 वर्षों तक लागू रही, जब तक कि इसे दिसंबर 2023 में भारतीय न्याय संहिता (भा.न्या.सं.) द्वारा निरसित और प्रतिस्थापित नहीं किया गया था, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है। यह वास्तव में बहुत दुखद है कि इतने वर्षों के बाद भी, न्यायालय आपराधिक न्यास भंग और छल के बीच के सूक्ष्म अंतर को नहीं समझ पाए हैं।

42. जब किसी निजी परिवाद पर विचार किया जाता है, तो विधि मजिस्ट्रेट पर यह कर्तव्य डालती है कि वह परिवाद की अंतर्वस्तु की सूक्ष्मता से जांच करे, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि क्या छल या आपराधिक न्यासभंग का, यथास्थिति, अपराध परिवाद में किए गए प्रकथनों से बनता है। मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए कि क्या अभिकथन जैसे कथित हैं, वास्तव में ये विनिर्दिष्ट अपराध गठित करते हैं। इसके विपरीत, जब कोई मामला प्र.सू.रि. से उत्पन्न होता है, तो यह उत्तरदायित्व पुलिस का होता है कि वह अच्छी तरह से सुनिश्चित करे कि क्या सूचनादाता द्वारा अधिरोपित अभिकथन वास्तव में छल या आपराधिक न्यास भंग की श्रेणी में आते हैं। दुर्भाग्य से, पुलिस अधिकारियों के लिए सामान्य रूप से और यंत्रवत् दोनों अपराधों, अर्थात् आपराधिक न्यास भंग और छल, के लिए किसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बेईमानपूर्ण या कपटपूर्ण अभिकथन पर ही, मस्तिष्क का उचित रीति से प्रयोग किए बिना, प्र.सू.रि. दर्ज करना सामान्य हो गया है।

43. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को विधि का उचित प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि वे छल और आपराधिक न्यास भंग के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और पृथक् हैं। एक ही तथ्य-समूह में दोनों अपराध एकसाथ नहीं हो सकते हैं। ये एक-दूसरे के विपरीत हैं। भा.दं.सं. (अब भा.न्या.सं., 2023) के दोनों उपबंध ऐसे जुड़ाव नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं।"

5. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता अग्रेतर निवेदन करते हैं कि वर्तमान आपराधिक मामला पूर्णतः दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) में निर्णय द्वारा आवरित है, और कि यदि भा.दं.सं. की धारा 406 और 420 के अधीन कार्यवाही एक साथ चलने दी जाती है, तो यह विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि आरोप-पत्र और आक्षेपित संज्ञान लेने एवं समन जारी करने के आदेश सहित, पूरी आपराधिक कार्यवाही निरस्त की जाए।

6. राज्य के विद्वान् अधिवक्ता भी निवेदन करते हैं कि ऐसे मामलों में, जहां भा.दं.सं. की धारा 406 या 420 के अधीन संज्ञान लिया गया है, वहां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) मामले में प्रतिपादित विधि लागू होती है। इसलिए, निवेदित किया जाता है कि विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) मामले में प्रतिपादित विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करने का निदेश दिया जाए।

7. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत विरोधी निवेदनों पर विचार करने और दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि पर विचार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने के पश्चात्, इस न्यायालय का विचार है कि धारा 406 और 420, भा.दं.सं. के अधीन अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाहियां एकसाथ चलाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

8. तदनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा मुकदमा अपराध सं. 36/2025, अंतर्गत धारा 406 और 420, भा.दं.सं., पुलिस थाना - कंधई, जिला प्रतापगढ़, राज्य बनाम मुकेश कुमार दुबे, से उत्पन्न संज्ञान लेने एवं समन जारी करने का आदेश दिनांक 16.10.2025, संबंधित न्यायालय को इस निदेश के साथ, अपास्त किया जाता है कि वे दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) में विनिश्चय की दृष्टि से, इस आदेश की दिनांक से दो महीने की अवधि भीतर नया संज्ञान आदेश पारित करें।

9. उपर्युक्त संप्रेक्षण के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी)

जून 12, 2026
के. तिवारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।